तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **गोविन्द राजपुरोहित बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार औसियां)** सू.अ.अ. अपील संख्या 383/2022	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-01-2023	अपीलार्थी गोविन्द राजपुरोहित पुत्र मोहनलाल राजपुरोहित निवासी म.नं. 18, द्वितीय बी रोड़, सरदारपुरा जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.09.2022 में (1) राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन गांवों की ओर अभियान के दौरान दिनांक 19.11.2021 को केम्प ग्राम थोब तहसील औसियां जिला जोधपुर में आयोजित हुआ था इस केम्प में प्रस्तुत नामान्तरकरण के प्रार्थना पत्रों की संख्या एवं आज दिनांक तक निस्तारित प्रार्थना पत्रों की संख्या उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से जरिये पत्रांक 674 दिनांक 15.12.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी/अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक–सूकाअअ/2022/673 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अपीलार्थी ने अपील में कहा कि तहसीलदार औसियां का पत्र क्रमांक भू.अ. /2022/2521 दिनांक 31.10.22 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के 30 दिन की अवधि के व्यतीत होने जाने के बाद जारी किया गया। प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सूचना एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने पर सूचना एवं दस्तावेज निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान किया गया है अतः सूचना निःशुल्क दिये जाने का आदेश दिया जाय। चूंकि अपील दायर करने के पश्चात् लोक सूचना अधिकारी द्वारा विलम्ब से सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की गई, जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण विधिक प्रक्रिया के तहत निर्धारित समयावधि में करे। अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	